We have seen in the last chapter that the Congress recovered after 1971, but was not the same kind of party. The difference became clear in a series of events between 1973 and 1975 that brought new challenges to India's democratic politics and the institutional balance sought by the Constitution. These developments led to the imposition of 'emergency' in June 1975.

हम देख चुके हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस को नवजीवन मिला लेकिन इस पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं रही। कांग्रेस पार्टी अब बदल चुकी थी। 1973 से 1975 के बीच घटी घटनाओं से यह अंतर और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया। इन घटनाओं से भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और संविधान निर्देशित सांस्थानिक संतुलन को नयी चुनौतियों ने घेरा। 1973 से 1975 के बीच आए बदलावों की परिणति देश में 'आपातकाल' लागू करने के रूप में हुई। 1975 के जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई।

Normally, we would associate 'emergency' with war and aggression or with natural disaster. But this 'emergency' was imposed because of the perceived threat of internal disturbance. The **Emergency ended as** dramatically as it had begun, resulting in a defeat of the Congress in the Lok Sabha elections of 1977.

आमतौर पर आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा की तसवीर कौंधती है लेकिन अपने देश में आपातकाल की यह घोषणा अंदरूनी गड्बडियों की आशंका के मद्देनजर की गई थी। आपातकाल की घोषणा जिस नाटकीय रूप में हुई थी उसी अंदाज़ में इसका खात्मा भी हुआ। आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हार गई।

- In this chapter we focus on this crucial phase in the history of democracy in India and ask some questions that have remained controversial after all these years.
- ➤ Why was Emergency imposed? Was it necessary?
- What did the imposition of Emergency mean in practice?
- What were the consequences of Emergency on party politics?
- What are the lessons of Emergency for Indian democracy?

इस अध्याय में हम अपना ध्यान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के इसी निर्णायक दौर पर केंद्रित करेंगे। साथ ही हम कुछ एसे सवाल पूछेंगे जो सालों गुज़रने के बाद भी विवादास्पद बने रहे, जैसे-

- ➤ आपातकाल क्यों लागू किया गया?
 क्या एसा करना ज़रूरी था?
- आपातकाल लागू करने का
 व्यावहारिक अर्थ क्या था?
- >दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल के क्या परिणाम हुए?
- ➤ आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे?

Background to Emergency

have already studied We the changes that were taking place in Indian politics since 1967. Indira Gandhi had emerged as a towering leader with tremendous popularity. This was also the period when party bitter competition became and polarised. This period also witnessed tensions the relationship between the government and the judiciary. The Supreme Court found many initiatives of the government to be violative of the Constitution. The Congress party took the position that this stand of the Court was against principles of democracy and parliamentary supremacy

आपातकाल की पृष्ठभूमि

1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थीं और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्वीकृत हो चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदिमयों को संविधान के विरुद्ध माना। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है।

The Congress also alleged that the Court was a conservative institution and it was becoming an obstacle in the way of implementing pro-poor welfare programmes. The parties opposed to the Congress felt that politics was becoming too personalised and that governmental authority was being converted into personal authority. The split in the Congress had sharpened the divisions between Indira Gandhi and her opponents.

कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुँचाने वाले कल्याण-कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे. उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे।

Economic context

In the elections of 1971, **Congress had given the** slogan of garibi hatao (remove poverty). However, the social and economic condition in the country did not improve much after 1971-72. The Bangladesh crisis had put a heavy strain on India's economy. **About eight million people** crossed over the East Pakistan border into India. This was followed by war with Pakistan. After the war the U.S government stopped all aid to India.

आर्थिक संदर्भ

1971 के चुनाव में कांग्रेस ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक-आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध के बाद अमरीका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया।

In the international market, oil prices increased manifold during this period. This led to an all-round increase in prices of commodities. Prices increased by 23 per cent in 1973 and 30 per cent in 1974. Such a high level of inflation caused much hardship to the people.

इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ों। 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23 फीसदी और 1974 में 30 फीसदी का इज़ाफ़ा हुआ। इस तीव्र मूल्यवृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई।

Industrial growth was low and unemployment was very high, particularly in the rural areas. In order to reduce expenditure the government froze the salaries of its employees. This caused further dissatisfaction among government employees. Monsoons failed in 1972-1973. This resulted in a sharp decline in agricultural productivity. Food grain output declined by 8 per cent. There was a general atmosphere of dissatisfaction with the prevailing economic situation all over the country. In such a context non-Congress opposition parties were able to organise popular protests effectively.

औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोज़गारी बेतहाशा बढी थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा। इससे कृषि की पैदावारमें भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8 प्रतिशत कम हो गया। आर्थिक स्थितिकी बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर-कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन-विरोध की अगुवाई की।

Instances of students' unrests that had persisted from the late 1960s became more pronounced in this period. There was also an increase in the activities of Marxist groups who did not believe in parliamentary politics. These groups had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of the capitalist order and the established political system. Known as the Marxist-Leninist (now Maoist) groups or Naxalites, they were particularly strong in West Bengal, where the State government took stringent measures to suppress them.

1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सिक्रियता भी इस अविध में बढ़ो। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूँजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्यविरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी-लेनिनवादी (अब माओवादी) अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। एसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सिक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए

Gujarat and Bihar movements Students' protests in Gujarat and Bihar, both of which were Congress ruled States, had far reaching impact on the politics of the two States and national politics. In January 1974 students in Gujarat started an agitation against rising prices of food grains, cooking oil and other essential commodities, and against corruption in high places. The students' protest was joined by major opposition parties and became widespread leading to the imposition of President's rule in the state.

गुजरात और बिहार के आंदोलन गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहां के छात्र-आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही. राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आंदोलन छेड दिया। छात्र-आंदोलन में बडी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गईं और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। एसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

The opposition parties demanded fresh elections to the state legislature. Morarji Desai, a prominent leader of Congress (O), who was the main rival of Indira Gandhi when he was in the Congress, announced that he would go on an indefinite fast if fresh elections were not held in the State. Under intense pressure from students, supported by the opposition political parties, assembly elections were held in Gujarat in June 1975. The Congress was defeated in this election.

विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की माँग की। कांग्रेस (ओ) के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख-हड्ताल पर बैठ जाऊँगा। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र-आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस इस चुनाव में हार गई।

In March 1974 students came together in Bihar to protest against rising prices, food scarcity, unemployment and corruption. After a point they invited Jayaprakash Narayan (JP), who had given up active politics and was involved in social work, to lead the student movement. He accepted it on the condition that the movement will remain nonviolent and will not limit itself to Bihar.

974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों. खाद्यान्न के अभाव. बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण (जेपी) को बुलावा भेजा। जेपी तब सिक्रिय राजनीति छोड चुके थे और सामाजिक कायों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ़ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा।

Thus the students' movement assumed a political character and had national appeal. People all walks of life now entered the movement. Jayaprakash Narayan demanded the dismissal of the **Congress government in Bihar** a call for and gave total revolution the in social, economic and political spheres in order to establish what he considered to be true democracy. A series of bandhs, gehraos, and strikes were organised in protest against the government. The government, however, refused to resign.

इस प्रकार छात्र-आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की माँग की। उन्होंने सामाजिक. आर्थिक और राजनीतिक दायरे में 'सम्पूर्ण क्रांति' का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में 'सच्चे लोकतंत्र' की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ़ लगातार घेराव, बंद और हड्ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल, सरकार ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया।

Alongside the agitation led by नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही Jayaprakash Narayan, the साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक employees of the Railways gave a call for a nationwide strike. This In 1975, JP led a peoples' march to जाने का खतरा पैदा हो गया। 1975 में largest political rallies ever held in the capital. He was now supported Bharatiya Lok Dal, the Socialist जैसे गैर-कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। Party and others.

The movement was beginning to आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर influence national politics. पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण Jayaprakash Narayan wanted to spread the Bihar movement to other parts of the country. हिस्सों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे threatened to paralyse the country. देश के रोज़मर्रा के कामकाज़ के ठप्प हो the Parliament. This was one of the जेपी ने जनता के 'संसद-मार्च' का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक by the non-Congress opposition इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जयप्रकाश parties like the Bharatiya Jana नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस Sangh, the Congress (O), the (ओ), भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी

These parties were projecting JP as an alternative to Indira Gandhi. However, there were many criticisms about his ideas and about the politics of mass agitations that he was employing. Both the Gujarat and Bihar agitations were seen as anti-Congress and rather than opposing the State governments, they were seen as protests against the leadership of Indira Gandhi. She believed that the movement was motivated by personal opposition to her.

इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनायी गई जन-प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएँ भी मुखर हुई। गुजरात और बिहार, दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गाँधी के नेतृत्व के खिलाफ़ चलाए गए हैं। इंदिरा गाँधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित हैं।

Conflict with Judiciary

This was also the period when the government and the ruling party had many differences with the judiciary. Do you remember the discussion about the long drawn conflict between the Parliament and the judiciary? You have studied this last year. Three constitutional issues had emerged. Can the Parliament abridge Fundamental Rights? The Supreme Court said cannot. Secondly, can the Parliament curtail the right to property by making an amendment?.

न्यायपालिका से संघर्ष

न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? इसके बारे में आपने पिछले साल पढ़ा था। इस क्रम में तीन संवैधानिक मसले उठे थे: क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद एसा नहीं कर सकती। दूसरा यह कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छाँट कर सकती है?

cannot amend the Constitution in manner that rights are curtailed. Thirdly, the Parliament amended the Constitution saying that it can abridge Fundamental Rights for giving effect to Directive Principles. But the Supreme Court rejected this provision also. This led to a crisis as far as the relations between the government and the judiciary were concerned. You may remember that this crisis culminated in the famous Kesavananda Bharati Case. In this case, the Court gave a decision that there are some basic features of the Constitution and the **Parliament** cannot amend these **features**

Again, the Court said that Parliament इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार, संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती हो जाए। तीसरे, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति-निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आया। आपको याद होगा कि इस संकट की परिणति केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढाँचा है और संसद इन ढाँचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है।

Two developments further added to the tension between the judiciary and the executive. Immediately after the Supreme Court's decision in 1973 in the Keshavananda Bharati case, a vacancy arose for the post of the Chief Justice of India. It had been a practice to appoint the seniormost judge of the Supreme Court as the Chief Justice. But in 1973, the government set aside the seniority of three judges and appointed Justice A. N. Ray as the Chief Justice of India.

दो और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव बढाया। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फ़ैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधोश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधोश को भारत का मुख्य न्यायाधोश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधोशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधोश नियुक्त किया।

The appointment became politically controversial because all the three judges who were superseded had given rulings against the stand of government. Thus, constitutional interpretations and political ideologies were getting mixed up rapidly. People close to the Prime Minister started talking of the need for a judiciary and bureaucracy 'committed' to the vision of the executive and the legislature. The climax of the confrontation was of course the ruling of the High Court declaring Indira Gandhi's election invalid.

यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया क्योंकि सरकार ने जिन तीन न्यायाधोशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फ़ैसला दिया। एसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेज़ी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वे एक एसी 'प्रतिबद्ध' न्यायपालिका तथा नौकरशाही की ज़रूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे। इस संघर्ष का चरमबिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया।

D- laration 2 Emergency

On 12 June 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha of the Allahabad High Court passed a judgment declaring Indira Gandhi's election to the Lok Sabha invalid. This order came on an election petition filed by Raj Narain, a socialist leader and a candidate who had contested against her in 1971. The petition, challenged the election of Indira Gandhi on the ground that she had used the services of government servants in her election campaign...

आपातकाल की घोषणा

12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधोश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फ़ैसला सुनाया। इस फ़ैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। न्यायमूर्ति ने यह फ़ैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण, इंदिरा गांधी के खिलाफ़ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव-प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था।

The judgment of the High **Court meant that legally she** was no more an MP and therefore, could not remain the Prime Minister unless she was once again elected as an MP within six months. On June 24, the Supreme Court granted her a partial stay on the High Court order - till her appeal was decided, she could remain an MP but could not take part in the proceedings of the Lok Sabha.

उच्च न्यायालय के इस फ़ैसले का मतलब यह था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रहीं और अगर अगले छह महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होतीं, तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकतीं। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फ़ैसले पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फ़ैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी; लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं।

Crisis and response

The stage was now set for a big political confrontation. opposition political parties led by Jayaprakash Narayan pressed for Indira Gandhi's resignation and organised a massive demonstration in Delhi's Ramlila grounds on 25 1975. Jayaprakash June announced a nationwide satyagraha for her resignation and asked the army, the police and government employees not to obey "illegal and immoral orders". **This** threatened to bring the activities of the government to a standstill. The political mood of the country had turned against the Congress, more than ever before.

संकट और सरकार का फ़ैसला

एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफ़े के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण नेइंदिरा गांधी से इस्तीफ़े की माँग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिकआदेशों का पालन न करें। इससे भी सरकारी कामकाज के ठप्प हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। देश का राजनीतिक मिजाज़ अब पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया।

The response of the government was to declare a state of emergency. On 25 June 1975, the government declared that there was a threat of internal disturbances and therefore, it invoked Article 352 of the **Constitution. Under the provision** of this article the government could declare a state of emergency on grounds of external threat or a threat of internal disturbances. The government decided that a grave crisis had arisen which made the proclamation of a state of emergency necessary. Technically speaking this was within the powers of the .

सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में 'आपातकाल' की घोषणा कर दी। 25 जून1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा ज़रूरी हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो एसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं।

Once an emergency is proclaimed, the federal distribution of powers remains practically suspended and all the powers are concentrated in the hands of the union government. Secondly, the government also gets the power to curtail or restrict all or any of the **Fundamental Rights during the** emergency. From the wording of the provisions of the Constitution, it is clear that an **Emergency is seen as an** extraordinary condition in which normal democratic politics cannot function. Therefore, special powers are granted to the government.

आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बँटवारे का संघीय ढाँचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली आती हैं। दूसरे, सरकार चाहे तो एसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहां एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं।

On the night of 25 June 1975, the Prime Minister recommended the imposition of Emergency to President Fakhruddin Ali Ahmed. He issued the proclamation immediately. After midnight, the electricity to all the major newspaper offices was disconnected. In the early morning, a large number of leaders and workers of the opposition parties were arrested. The Cabinet was informed about it at a special meeting at 6 a.m. on 26 June, after all this had taken place.

25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। तड़के सबेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के ताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था।

Consequences

This brought the agitation to an abrupt stop; strikes were banned; many opposition leaders were put in jail; the political situation became very quiet though tense. Deciding to use its special under Emergency powers provisions, the government suspended the freedom of the Press. Newspapers were asked to get prior approval for all material to be published. This is known press censorship. as **Apprehending** social and disharmony, the communal government banned Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and Jamait-e-Islami.

परिणाम

सरकार के इस फ़ैसले से विरोध-आंदोलन एकबारगी रुक गया; हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचारपत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया।

Protests and strikes and public agitations were also disallowed. Most importantly, under the provisions of **Emergency, the various Fundamental Rights of** citizens stood suspended, including the right of citizens to move the Court for restoring their Fundamental Rights.

धरना, प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमित नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागिरकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ।

The government made extensive use of preventive detention. Under this provision, people are arrested and detained not because they have committed any offence, but on the apprehension that they may commit an offence. Using preventive detention acts, the government made large scale arrests during the **Emergency.** Arrested political workers could not challenge their arrest through habeas corpus petitions.

सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है बल्कि इसके विपरीत. इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कीं। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकत थ

Many cases were filed in the **High Courts and the** Supreme Court by and on behalf of arrested persons, but the government claimed that it was not even necessary to inform the arrested persons of the reasons and grounds of their arrest. Several High Courts gave judgments that even after the declaration of **Emergency the courts could** entertain a writ of habeas corpus filed by a person challenging his/her detention.

गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष से किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई ज़रूरी नहीं है। अनेक उच्च न्यायालयों ने फ़ैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई एसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो।

In April 1976, the constitution bench of the Supreme Court over-ruled the High Courts and accepted the government's plea. It meant that during **Emergency the government** could take away the citizen's right to life and liberty. This judgment closed the doors of judiciary for the citizens and is regarded as one of the most controversial judgments of the Supreme Court.

1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फ़ैसले को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आजादी का अधिकार वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फ़ैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाज़े बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फ़ैसलों में एक माना गया।

There were many acts of dissent and resistance to the **Emergency. Many political** workers who were not arrested in the first wave, went 'underground' and organised protests against the government. Newspapers like the Indian Express and the Statesman protested against censorship by leaving blank spaces where news items had been censored. Magazines like the Seminar and the Mainstream chose to close down rather than submit to censorship. Many journalists were arrested for writing against the Emergency.

आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएँ घटीं। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वे 'भूमिगत' हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलायी। 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'स्टेट्समैन' जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड देते थे। 'सेमिनार' और 'मेनस्ट्रीम' जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा।

Many underground newsletters and leaflets were published to bypass censorship. Kannada writer Shivarama Karanth, awarded with Padma Bhushan, and **Hindi writer Fanishwarnath** Renu, awarded with Padma Shri, returned their awards in protest against the suspension of democracy. By and large, though, such open acts of defiance and resistance were rare.

सेंसरशिप को धत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूजलेटर और लीफ़लेट्स निकले। पद्मभूषण से सम्मानित कन्नड लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ 'रेण्' ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी-अपनी पदवी लौटा दी। बहरहाल, मुखालफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए।

The Parliament also brought in many new changes to the Constitution. the In background of the ruling of the Allahabad High Court in the Indira Gandhi case, an amendment made was declaring that elections of Prime Minister, President and Vice-President could not be challenged in the Court. The forty-second amendment was also passed during **Emergency. You have already** studied that this amendment consisted of a series of changes in many parts of the Constitution.

संसद ने संविधान के सामने कई नयी चुनौतियां खड़ी कीं। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वाँ संशोधन पारित हुआ। आप पढ़ चुके हैं कि इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए।

Among the various changes made by this amendment, one was that the duration of the legislatures in the country was extended from five to six years. This change was not only for the **Emergency period, but was** intended to be of a permanent nature. Besides this, during an Emergency, elections can be postponed by one year. Thus, effectively, after 1971, elections needed to be held only in 1978; instead of 1976.

42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों में एक था-देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं की गई थी। इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को एक साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाए जा सकते थे।

Shah Commission of Inquiry In May 1977, the Janata Party government appointed a Commission of Inquiry headed by Justice J.C. Shah, retired Chief Justice of the Supreme Court of India, to inquire "into several aspects of allegations of abuse of authority, excesses and malpractices committed and action taken in the wake of the Emergency proclaimed on the 25th June, 1975".

शाह जाँच आयोग 1977 की मई में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधोश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग का गठन "25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं" की जाँच के लिए किया गया था।

The Commission examined various kinds of evidence and called scores of witnesses to give testimonies. These included Indira Gandhi who appeared before the Commission but refused to answer any questions.

आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जाँच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थीं। वे आयोग के सामने उपस्थित हुईं, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया।

Controversies regarding Emergency

Emergency is one of the most controversial episodes in Indian politics. One reason is that there are differing view points about the need to declare emergency. Another reason is that using the powers given by the Constitution, the government practically suspended the democratic functioning. As the investigations by the Shah Commission after the **Emergency found out, there** were many 'excesses' committed during the **Emergency.**

आपातकाल के संदर्भ में विवाद आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है। इसका एक कारण है आपातकाल की घोषणा की ज़रूरत को लेकर विभिन्न दृष्टिकोणों का होना। दूसरा कारण यह है कि सरकार ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यावहारिक तौर पर लोकतांत्रिक कामकाज को उप्प कर दिया था। आपातकाल के बाद शाह आयोग ने अपनी जाँच में पाया कि इस अवधि में बहुत सारी 'अति' हुई।

Finally, there are varying assessments of what the lessons of Emergency are for the practice of democracy in India. Let us look at these one by one.

इसके अतिरिक्त भारत में लोकतंत्र पर अमल के लिहाज़ से आपातकाल से क्या-क्या सबक सीखे जा सकते हैं, इस पर भी अलग-अलग राय मिलती है। आइए, इन पर एक-एक करके नज़र दौड़ाएँ।

Was the Emergency necessary?

Constitution simply The mentioned **'internal** disturbances' as the reason for declaring Emergency. **Before** 1975, Emergency was never proclaimed on this ground. We have noted that agitations were going on in many parts of the country. Was this reason enough for declaring Emergency? The government argued that in a democracy, the opposition parties must allow the elected ruling party to govern according its policies. It felt frequent recourse to agitations, protests and collective action are not good for democracy.

क्या 'आपातकाल' ज़रूरी था?

आपातकाल की घोषणा के कारण का उल्लेख करते हुए संविधान में बड़े सादे ढंग से 'अंदरूनी गड़बड़ी' जैसे शब्द का व्यवहार किया गया है। 1975 से पहले कभी भी 'अंदरूनी गड़बड़ी' को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नही की गई थी। हम पढ़ चुके हैं कि देश के कई हिस्सों में विरोध-आंदोलन चल रहे थे। क्या इसे आपातकाल लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। सरकार का मानना था कि बार-बार का धरना-प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं

Supporters of Indira Gandhi also held that in a democracy, you cannot continuously have extraparliamentary politics targeting the government. This leads to instability and distracts administration from its routine task of ensuring development. All diverted energies are maintenance of law and order. Indira Gandhi wrote in a letter to the Shah Commission that subversive forces were trying to progressive the obstruct programmes of the government and were attempting to dislodge her from power through extraconstitutional means.

इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर-संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग हो जाता है। सारी ताकत कानून-व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड्गे डाल रही थीं और मुझे गैर-संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती थीं।

Some other parties, like the CPI that continued to back the Congress during the Emergency, also believed that there was an international conspiracy against the unity of India. It believed that in such circumstances some restrictions on agitations were justified.

कुछ अन्य दलों, मसलन सीपीआई (इसने आपातकाल के दौरान कांग्रेस को समर्थन देना जारी रखा था) का विश्वास था कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। सीपीआई का मानना था कि एसी सूरत में विरोध पर एक हद तक प्रतिबंध लगाना उचित है। सीपीआई का मानना था कि जेपी ने जिस जन आंदोलन की अगुवाई की, वह मुख्यतया मध्यवर्ग का आंदोलन था और यह मध्यवर्ग कांग्रेस की परिवर्तनकामी नीतियों के विरोध में था। आपातकाल के बाद सीपीआई ने महसूस किया कि उसका मूल्यांकन गलत था और आपातकाल का समर्थन करना एक गलती थी।

On the other hand, the critics of the Emergency argued that ever since the freedom movement, Indian politics had a history of popular struggles. JP and many other opposition leaders felt that in a democracy, people had the right to publicly protest against the government. The Bihar and Gujarat agitations were mostly peaceful and non-violent. Those who were arrested were never tried for any anti-national activity. No cases were registered against most of the detainees.

दूसरी तरफ़, आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आजादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा है। जेपी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का खयाल था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। बिहार और गुजरात में चले विरोध-आंदोलन ज्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन पर कभी भी राष्ट-विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा नहीं चला।

The Home Ministry, which is entrusted with the responsibility of monitoring the internal situation of the country, also did not express any concern about the law and order situation in the country. If some agitations had over-stepped their limits, the government had enough routine powers to deal with it. There was no need to suspend democratic functioning and use draconian measures like the **Emergency for that.**

अधिकतर बंदियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। देश के अंदरूनी मामलों की देख-रेख का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है। गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था की बाबत कोई चिंता नहीं जतायी थी। अगर कुछ आंदोलन अपनी हद से बाहर जा रहे थे. तो सरकार के पास अपनी रोज़मर्रा की अमल में आने वाली इतनी शक्तियां थीं कि वह एसे आंदोलनों को हद में ला सकती थी। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को ठप्प करके 'आपातकाल' लागू करने जैसे अतिचारी कदम उठाने की ज़रूरत कतई न थी।

The threat was not to the unity and integrity of the country but to the ruling party and to the Prime Minister herself. The critics say that Indira Gandhi misused a constitutional provision meant for saving the country to save her personal power.

दरअसल खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं, बल्कि शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री को था। आलोचक कहते हैं कि देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग इंदिरा गाँधी ने निजी ताकत को बचाने के लिए किया।

What happened during emergency?

The actual implementation of the Emergency is another contentious issue. Did the government misuse its **Emergency powers? Were there** excesses and abuse of authority? The government said that it wanted to use the **Emergency to bring law and** order, restore efficiency, and above all, implement the propoor welfare programmes. For this purpose, the government led by Indira Gandhi announced a twentypoint programme and declared its determination to implement this programme.

आपातकाल के दौरान क्या-क्या हुआ?

आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन भी अपने-आप में विवाद का एक मुद्दा रहा है। क्या सरकार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया? क्या इस दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ और उसके बूते ज्यादितयां की गईं? सरकार ने कहा कि वह आपातकाल के ज़रिए कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, कार्यकुशलता बढ़ाना चाहती थी और गरीबों के हित के कार्यक्रम लागू करना चाहती थी।

The twenty-point programme included land reforms, land redistribution, review of agricultural wages, workers' participation in management, eradication of bonded labour, etc. In the initial months after the declaration of Emergency, the urban middle classes were generally happy over the fact that agitations came to an end and discipline was enforced on the government employees.

इस उद्देश्य से सरकार ने एक बीस-सूत्री कार्यक्रम लकी घोषणा की और इसे लागू करने का अपना दृढ़ संकल्प दोहराया। बीस-सूत्री कार्यक्रम में भूमि-सुधार, भू-पुनर्वितरण, खेतिहर मज़दूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी. बंधुआ मज़दूरी की समाप्ति, आदि मसले शामिल थे। आपातकाल की घोषणा के बाद, शुरुआती महीनों में मध्यवर्ग इस बात से बड़ा खुश था कि विरोध-आंदोलन समाप्त हो गया और सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन लागू हुआ।

The poor and rural people also expected effective implementation of the welfare programmes that the government was promising. Thus, different sections of society had different expectations from the emergency and also different viewpoints about it.

गरीब और ग्रामीण जनता को भी उम्मीद थी कि सरकार जिन कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के वायदे कर रही है. उन्हें अब कारगर तरीके से लागू किया जाएगा। समाज के विभिन्न वर्गों की अलग-अलग अपेक्षाएँ थीं और इस कारण आपातकाल को लेकर उनके दुष्टिकोण भी अलग-अलग थे।

Critics of Emergency point out that most of these promises by the government remained unfulfilled, that these were simply meant to divert attention from the excesses that were taking place. They question the use of preventive detention on such a large scale. We have noted that many prominent political leaders were arrested. In all, 676 opposition leaders were arrested.

आपातकाल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि सरकार के ज्यादातर वायदे पूरे नहीं हुए। आलोचकों का कहना है कि सरकार अपने वायदों की ओट लेकर ज्यादितयों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती थी। आलोचकों ने निवारक नज़रबंदी के बड़े पैमाने के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। हम पढ़ चुके हैं कि आपातकाल के दौरान अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल, कुल 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी।

The Shah Commission estimated that nearly one lakh eleven thousand people were arrested under preventive detention laws. Severe restrictions were put on the press, sometimes without proper legal sanctions. The Shah **Commission report mentions** that the General Manager of the **Delhi Power Supply Corporation** received verbal orders from the office of the Lt. Governor of Delhi to cut electricity to all newspaper presses at 2.00 a.m. on 26 June, 1975. Electricity was restored two to three days later after the censorship apparatus had been set up.

शाह आयोग का आकलन था कि निवारक नज़रबंदी के कानूनों के तहत लगभग एक लाख ग्यारह हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई। इसमें कई पाबंदियां गैरकानूनी थीं। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक को दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर के दफ्तर से 26 जून 1975 की रात 2 बजे मौखिक आदेश मिला कि सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी जाए। अखबारों को बिजली आपूर्ति दो-तीन दिन बाद फिर बहाल की गई, लेकिन तब तक सेंसरशिप का पूरा ढाँचा खड़ा किया जा चुका था।

There were other and more serious allegations regarding the exercise of governmental power by people who held no official position. Sanjay **Gandhi, the Prime Minister's** younger son, did not hold any official position at the time. Yet, he gained control over the administration and allegedly interfered in the functioning of the government. His role in the demolitions and forced sterilisation in Delhi became very controversial.

इसके अलावा कुछ और भी गंभीर आरोप एसे लोगों को लेकर लगे थे जो किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे. लेकिन सरकारी ताकत का इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गाँधी उस वक्त किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे। फिर भी, प्रशासन पर उनका असर था और आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सरकारी कामकाज में दखल दिया। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी करने की मुहिम में उनकी भूमिका को लेकर बड़े विवाद उठे।

Apart from the arrests of political workers and the restrictions on the press, the **Emergency directly affected** lives of common people in many cases. Torture and custodial deaths occurred during the Emergency; arbitrary relocation of poor people also took place; and over-enthusiasm about population control led to cases of compulsory sterilisation. These instances show what happens when the normal democratic process is suspended.

राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर लगी पाबंदी के अतिरिक्त. आपातकाल का बुरा असर आमलोगों को भी भुगतना पड़ा। आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातना की घटनाएँ घटीं। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से उजाड़कर दूसरी जगह बसाने की भी घटनाएँ हुईं। जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह में लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उप्प पड़ने पर लोगों पर क्या गुज़रती है।

Lessons of the Emergency

The Emergency at once brought out both the weaknesses and the strengths of India's democracy. Though there are many observers who think that India ceased to be democratic during the **Emergency, it is noteworthy** that normal democratic functioning resumed within a short span of time. Thus, one lesson of Emergency is that it is extremely difficult to do away with democracy in India.

आपातकाल के सबक

आपातकाल से एकबारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गईं। हालाँकि बहुत-से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोडे ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढरें पर लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है।

Secondly, it brought out some ambiguities regarding the **Emergency provision in the** Constitution that have been rectified since. Now, 'internal' **Emergency can be** proclaimed only on the grounds of 'armed rebellion' and it is necessary that the advice to the President to proclaim Emergency must be given in writing by the Union Cabinet.

दूसरे, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब 'अंदरूनी' आपातकाल सिर्फ़ 'सशस्त्र विद्रोह' की स्थिति में लगाया जा सकता है। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे।

Thirdly, the Emergency made everyone more aware of the value of civil liberties. The Courts too, have taken an active role after the **Emergency in protecting the** civil liberties of the individuals. This is a response to the inability of the judiciary to protect civil liberties effectively during the emergency. Many civil liberties organisations came up after this experience.

तीसरे, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आए।

However, the critical years of emergency brought many issues that have not been adequately grappled with. We have noted in this chapter that there is a tension between routine functioning of a democratic government and the continuous political protests by parties and groups. What is the correct balance between the two? Should the citizens have full freedom to engage in protest activity or should they have no such right at all? What are the limits to such a protest?

बहरहाल, आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई एसे सवाल छोड़े हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। एसे में दोनों के बीच एक सधा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए अथवा उन्हें इसका कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। एसे विरोध की सीमा क्या मानी जाए?

Secondly, the actual implementation of the **Emergency rule took place** through the police and the administration. These institutions could not function independently. They were turned into political instruments of the ruling party and according to the Shah Commission Report, the administration and the police became vulnerable to political pressures. This problem did not vanish after the **Emergency.**

दूसरे, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। ये संस्थाएँ स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाईं। इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई।

Politics after Emergency

The most valuable and lasting lesson of the **Emergency was learnt as** soon as the Emergency was over and the Lok Sabha elections were announced. The 1977 elections turned into a referendum on the experience of the **Emergency, at least in north** India where the impact of the Emergency was felt most strongly. The opposition fought the election on the slogan of 'save democracy'.

आपातकाल के बाद की राजनीति जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे ज़रूरी और कीमती सबक राजव्यवस्था ने सीख लिया। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत-संग्रह थे। उत्तर भारत में तो खासतौर पर क्योंकि यहां आपातकाल का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया था। विपक्ष ने 'लोकतंत्र बचाओ' के नारे पर चुनाव लड़ा।

The people's verdict was decisively against the **Emergency. The lesson was** clear and has been reiterated in many state level elections thereafter governments that are perceived to be antidemocratic are severely punished by the voters. In this sense the experience of 1975 -77 ended up strengthening the foundations of democracy in India.

जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सबक एकदम साफ़ था और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र-विरोधी माना उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975-77 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई।

Lok Sabha Elections, 1977

In January 1977, after eighteen months of Emergency, the government decided to hold elections. Accordingly, all the leaders and activists were released from jails. Elections were held in March 1977. This left the opposition with very little time, but political developments took place very rapidly. The major opposition parties had already been coming closer in the pre-Emergency period. Now they came together on the eve of the elections and formed a new party, known as the Janata Party.

लोकसभा के चुनाव-1977

18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फ़ैसला किया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुए। एसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय मिला. लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति बडी तेज थी। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक-दूसरे के नज़दीक आ रही थीं। चुनाव के एन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया।

The new party accepted the leadership of Jayaprakash Narayan. Some leaders of the Congress who were opposed to the Emergency also joined this new party. **Some other Congress** leaders also came out and formed a separate party under the leadership of Jagjivan Ram. This party named as Congress for **Democracy, later merged** with the Janata Party.

नयी पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी. जो आपातकाल के खिलाप ह थे, इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नयी पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' था और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई।

The Janata Party made this election into a referendum on the **Emergency.** Its campaign focused on the nondemocratic character of the rule and on the various excesses that took place during this period. In backdrop of arrests of thousands of persons and the censorship of the Press, the public opinion was against the Congress. Jayaprakash Narayan became the popular symbol of restoration of democracy. The formation of the Janata Party also ensured that non-Congress votes would not be divided. It was evident that the going was tough for the Congress.

जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव-प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादितयों पर ज़ोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर-कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिलकुल साफ़ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी।

Yet the final results took everyone by surprise. For the first time since Independence, the Congress party was defeated in the Lok Sabha elections. The Congress could win only 154 seats in the Lok Sabha. Its share of popular votes fell to less than 35 per cent. The Janata Party and its allies won 330 out of the 542 seats in the Lok Sabha; Janata Party itself won 295 seats and thus enjoyed a clear majority.

लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आजादी के बाद पहली बार एसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थीं। उसे 35 प्रतिशत से भी कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिलीं। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला था।

In north India, it was a massive electoral wave against the Congress. The **Congress lost in every** constituency in Bihar, Uttar Pradesh, Delhi, Haryana and the Punjab and could win only one seat each in Rajasthan and Madhya Pradesh. Indira Gandhi was defeated from Rae Bareli, as was her son Sanjay Gandhi from Amethi.

उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाप् म था। कांग्रेस बिहार. उत्तर प्रदेश. दिल्ली. हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट न पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक-एक सीट मिली। इंदिरा गाँधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गाँधी अमेठी से चुनाव हार गए।

But more importantly, north India had experienced some long term changes in the nature of political competition. The middle castes from north India were beginning to move away from the Congress and the Janata party became a platform for many of these sections to come together. In this sense, the elections of 1977 were not merely about the **Emergency.**

लेकिन इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए थे। उत्तर भारत का मध्यवर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था! और मध्यवर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुडे। इस अर्थ में देखें, तो 1977 के चुनाव सिर्फ़ आपातकाल की कथा नहीं कहते हैं. बल्कि इसके आगे की भी कुछ बातों का संकेत करते हैं।

Janata Government

The Janata Party government that came to power after the 1977 elections was far from cohesive. After the election, there was stiff competition among three leaders for the post of Prime Minister – Morarji Desai, who was the rival to Indira Gandhi ever since 1966-67; Charan Singh, leader of the **Bharatiya Lok Dal and a farmers'** leader from UP; and Jagjivan Ram, who had vast experience as a senior minister in the Congress governments. Eventually Morarji **Desai became the Prime Minister** but that did not bring the power struggle within the party to an end.

जनता सरकार

1977 के चुनावों के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड मची। इस होड में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। मोरारजी देसाई 1966-67 से ही इंदिरा गाँधी के प्रतिद्वंद्वी थे। चरण सिंह, भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म न हुई।

The opposition to Emergency could keep the Janata Party together only for a while. Its critics felt that the Janata Party lacked direction, leadership, and a common programme. The Janata Party government could not bring about a fundamental change in policies from those pursued by the Congress. The Janata Party split and the government which was led by Morarji **Desai lost its majority in less** than 18 months. Another government headed by Charan Singh was formed on the assurance of the support of the Congress party.

आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी।

with the result that the Charan Singh government could remain in power for just about four months. Fresh Lok Sabha elections were held in January 1980 in which the Party suffered Janata comprehensive defeat, especially in north India where it had swept the polls in 1977. Congress party **Indira Gandhi nearly** repeated its great victory in 1971. It won 353 seats and came back to power. The experience of 1977-79 another taught in lesson democratic politics: governments that are seen to be unstable and quarrelsome are severely punished सरकार को कड़ा दंड देते हैं। by the voters.

But the Congress party later लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने decided to withdraw its support का फ़ैसला किया। इस वज़ह से चरण सिंह की सरकार मात्र चार महीने तक सत्ता में रही। 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई। जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जबिक 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनावों वाली कहानी दुहराते हुए भारी सफलता हासिल की। कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिलीं और वह सत्ता में आई। 1977-79 के चुनावों ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया-सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो, तो मतदाता एसी

Legacy But was it only a case of of **Indira** Gandhi? return Between the elections of 1977 and 1980 the party system had changed dramatically. Since 1969, the Congress party had starting shedding its character as an umbrella party which accommodated leaders workers of different ideological dispensations and view points. The Congress party now identified itself with a particular ideology, claiming to be the only socialist and pro-poor party.

विरासत लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ़ इंदिरा गाँधी की वापसी हुई थी? क्या मामला इतना भर था? 1977 और 1980 के चुनावों के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। 1969 के बाद से कांग्रेस का सबको समाहित करके चलने वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ। 1969 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारात्मक गति-मति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेटकर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा। उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना श्रूक किया।

Thus with the early nineteen seventies, the Congress's political success depended on attracting people on the basis of sharp social and ideological divisions and the appeal of one leader, Indira Gandhi.

With the change in the nature of the Congress party, other opposition parties relied more and more on what is known in politics as Indian 'non-Congressism'. They also realised the need to avoid a division of non-Congress votes in the election. This factor played a major role in the elections of 1977.

इस तरह 1970 के दशक के श्रुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ़ कितना खींच पाती है। इसके साथ-साथ यह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता पर भी निर्भर हुई। कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलावों के मद्देनजर अन्य विपक्षी दल 'गैर-कांग्रेसवाद' की राजनीति की तरफ मुड़े। विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ-साफ नज़र आने लगी कि चुनावों में गैर-कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज ने 1977 के चुनावों में एक बड़ी भूमिका निभाई।

In an indirect manner the issue of welfare of the backward castes also began to dominate politics since 1977. As we saw above, the results of 1977 elections were at least partly due to a shift among the backward castes of north India. Following the Lok Sabha elections, many states also held Assembly elections in 1977. Again, the northern States elected non-Congress governments in which the leaders of the backward castes played an important role.

अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वगों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ। हमने ऊपर गौर किया था कि 1977 के चुनाव-परिणामों पर पिछडी जातियों के मतदान का असर पडा था. खासकर उत्तर भारत में। लोकसभा के चुनावों के बाद, 1977 में कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए। इसमें भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

The issue of reservations for 'other backward classes' became very controversial in Bihar and following this, the **Mandal Commission was** appointed by the Janata Party government at the centre. You will read more about this and about the role of the politics of backward castes, in the last chapter. The elections after the Emergency set off the process of this change in the party system.

बिहार में 'अन्य पिछडी जातियों' के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया। इस आयोग और पिछडी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज्यादा विस्तार से आप अंतिम अध्याय में पढ़ंगे। आपातकाल के बाद हुए चुनावों ने दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी।

The Emergency and the period around it can be described as a period of constitutional crisis because it had its origins in the constitutional battle over the jurisdiction of the Parliament and the judiciary. On the other hand, it was also a period of political crisis. The party in power had absolute majority and yet, its leadership decided to suspend the democratic process. The makers of India's Constitution trusted that all political parties would basically abide by the democratic norm.

आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था। दूसरी तरफ़ यह राजनीतिक संकट का भी दौर था। सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। फिर भी, इसके नेतृत्व ने लोकतंत्र को उप्प करने का फ़ैसला किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे।

Even during the Emergency, when the government would use extraordinary powers, its use would be within the norms of the rule of law. This expectation led to the wide and open ended powers given to the government in times of **Emergency. These were** abused during the **Emergency. This political** crisis was more serious than the constitutional crisis.

उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए ही करेगी। इसी उम्मीद में सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चहुँमुखी शक्तियां दे दी गई। इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ। यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज्यादा संगीन था।

Another critical issue that emerged during this period was the role and extent of mass protests in a parliamentary democracy. There was clearly a tension between institutionbased democracy and democracy based on spontaneous popular participation. This tension may be attributed to the inability of the party system to incorporate the aspirations of the people. In the two chapters that follow we shall study some of the manifestations of this tension, in particular, popular movements and debates around regional identity.

इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। स्पष्ट ही इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतःस्फूर्त जन-भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नज़र आया। इस तनाव का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई। आगे के दो अध्यायों में हम इस तनाव की कुछ अभिव्यक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। इन अध्यायों में हम विशेष रूप से जन आंदोलन और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी बहसों के बारे में पढ़ंगे।